



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या में 02 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को 10 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-447/2022 धारा-498ए,304बी भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रति0अधि0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मुलिया पत्नी रामऔतार निषाद 2.हंसराज उर्फ हस्सू पुत्र रामऔतार निषाद 3.रामऔतार निषाद पुत्र स्व0 बृजलाल निवासीगण ग्राम छिमौली, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कारावास व 15,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक डीजीसी  
राजेश कुमार शुक्ला



विवेचक-  
सीओ विवेक यादव



पैरोकार  
थाना- मौदहा  
का0 प्रदीप भार्गव